जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू।

"इच्छा की अभिव्यक्ति"

–:पशुपालकोंके लिए महत्वपूर्ण अवसरः–

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(गव्य विकास) झारखण्ड, राँची, के स्वीकृत्यादेश सं०– 19रा० (विभाग) ,दिनांक– 10.07.2018 के आलोक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिशील, दुग्ध उत्पादकों एवं डेयरी उद्यमियों को उनके दूध उत्पादन व्यवसाय के विस्तार, दुधारू पशुओं के लिए जलापूर्ति व्यवस्था मे सुधार, पुराने पशुशालाओं के जीर्णोद्धार एवं डेयरी फार्म के मशीनीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिए प्रगतिशील, दुग्ध उत्पादकों एवं डेयरी उद्यमियों से विहित प्रपत्र में "इच्छा की अभिव्यक्ति" के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है–

क्र0 सं0	कार्य विवरण	यूनिट क्षमता/साईज	दर प्रति यूनिट	अनुदान प्रतिशत
1	पुराने पशु शेड का जीर्णोद्धार (कम से कम पाँच वर्ष पुराना)	20 दुधारू पशु	300000	25%
		50 दुधारू पशु	750000	25%
2	मिल्कींग मशीन	4 बकेट	120000	50%
3	पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट	1 सेट	100000	50%
4	जैविक खाद यूनिट	–	100000	50%
5	डीप बोरिंग	–	250000	50%
6	कॉमर्शियल फॉडर फार्मिंग ; Fencing, Boring, Land Prepraration and Planting Materials)	2–5 एकड़	100000 (प्रति एकड़)	25%
7	काउ मैट (Cow Mat)	6.5' x 4.0'	5200	50%
8	फॉडर गोदाम RCC Roof के साथ (800 रू० प्रति वर्ग फीट की दर से)	1500 वर्गफीट	1200000	25%
		3000 वर्गफीट	2400000	25%
9	पावर ऑपरेटेड कॉमर्शियल फॉडर कटिंग यूनिट	Medium	50000	50%
		Tractor Mounted	125000	50%

इच्छुक पशुपालक विहित प्रपत्र में अपना पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए इच्छित कार्यक्रमों के लिए ग्राम पंचायत की अनुशंसा प्राप्त कर संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक– 14.08.2018 तक आवेदन समर्पित कर सकते हैं। विहित आवेदन प्रपत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

- इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र/चिन्हित दुग्ध पथों पर अवस्थित गाँवों में क्रियान्वित किया जाएगा।
- इस योजना अन्तर्गत लाभुकों का चयन ग्राम पंचायत की अनुशंसा उपरान्त संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
- योजनान्तर्गत देय अनुदान की राशि कार्योपरान्त लाभुक को उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

योजना संबंधी विशेष जानकारी हेतु जिला गव्य विकास कार्यालय, पलामू से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

23/7/18

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
पलामू।